न्यायालय सहायक कलक्टर,निम्बाहेड़ा
गोपाल लाल बनाम कंचनबाई
प्रकरण संख्या - 94/2024 वाद
GCMS No. – 2024/415

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –94/2024
GCMS No. –2024/415

1. गोपाल लाल पुत्र किशनलालजी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–वादी

बनाम

1. कंचनबाई पुत्री किशनलालजी पत्नि नंदकिशोर जी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना हाल मुकाम गुर्जरखेडी तहसील जावद जिला नीमच म०प्र०
2. सुखीबाई बेवा किशनलालजी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०(नाम विलोपित)
3. पार्वती बाई पत्नि गोपाल लाल जी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. उपपंजीयक निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रतिवादीगण

<u>वाद तहत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता वादी
2– श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा –प्रतिवादी संख्या 1
3– श्री योगेन्द्र सौलंकी – प्रतिवादी संख्या 3

<u>:: निर्णय ::</u> दिनांक :– 07.01.2025

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा मैलाना प०ह० मैलाना तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 65 के आराजी नम्बर 1007 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1453 रकबा 0.8200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2251/855 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2252/856 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 853 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 870 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 873 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 888 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 890 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, कुल किता 9 कुल रकबा 2.3000 हेक्टेयर कुल लगानी 58 रुपये 80 पैसा भूमि स्थित है। इसी प्रकार वाके मौजा मैलाना प०ह० मैलाना तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 31 के आराजी नम्बर 33 रकबा 0.7400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर [illegible] रकबा [illegible] हैक्टेयर, आराजी नम्बर 867 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.1100 हेक्टेयर कुल लगानी 9 रुपये 46 पैसा स्थित हैं। इसी प्रकार वाके मौजा मैलाना प०ह० मैलाना तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 32 के आराजी नम्बर 11 रकबा 0.7400 हैक्टेयर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:33:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

लगानी 4 रुपये 81 पैसा स्थित हैं। इसी प्रकार वाके मौजा मैलाना प०ह० मैलाना तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 170 के आराजी नम्बर 1392 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1411 रकबा 0.6900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2044/2184 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.5600 हेक्टेयर कुल लगानी 7 रुपये 80 पैसा स्थित हैं।

2. वादग्रस्त आराजियात वादी की पुश्तैनी पैतृक आराजियात होकर वादी के खातेदारी कब्जे काश्त की चली आ रही है उक्त आराजियात वादी के दादा लादुजी के जमाने से चली आ रही है लादु जी का वारिस किशनलाल जो वादी का पिता है जिनका देहान्त हो गया है किशनलालजी के एक पुत्र वादी व एक पुत्री प्रतिवादी नम्बर 1 कंचन व उनकी बेवा प्रतिवादी नम्बर 2 सुखीबाई हैं।

3. वादग्रस्त आराजियात वादी की पुश्तैनी पैतृक आराजियात होकर वादी के दादा लादुजी के जमाने से चली आ रही है लादुजी के देहान्त के बाद उक्त भूमि विरासत से वादी के पिता किशनजी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुई वादी किशनजी का पुत्र होकर वादग्रस्त आराजियात मे वादी का बाय बर्थ इन्ट्रेस्ट निहित होकर वादी का जन्म से अधिकार निहित हैं वादी के पिता किशनलालजी ने अपने जीवन काल मे वादग्रस्त आराजियात का आज से करीब 35 वर्ष पूर्व सन् 1990 में मौखिक रुप से बटवाडा कर दिया था और उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा वादी को बटवाडे से अलग दे दिया था और 1/2 हिस्सा वादी के पिता किशनलालजी ने अपने पास रखा था तथा प्रतिवादी नम्बर 1 कंचनबाई का वादग्रस्त आराजियात में कोई हक हिस्सा नही रखा था तथा किशनलालजी द्वारा जो भी हक हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 कंचनबाई को देना था वह सन् 1990 मे शादी के समय नगद के रुप मे दे दिया था। इस प्रकार उक्त भूमि मे प्रतिवादी नम्बर 1 का स्व० किशनलालजी ने अपनी वादग्रस्त खातेदारी की आराजियात में कोई हक हिस्सा किसी हैसियत से नही रखा था।

4. वादी की वादग्रस्त पुश्तैनी पैतृक आराजियात से प्रतिवादी नम्बर 1 का कोई हक अधिकार कब्जा किसी हैसियत से नही था, परन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादग्रस्त आराजियात को बिना किसी हक अधिकार के वादी के पिता किशनलालजी को बहला फुसलाकर किशनलालजी की अनपढता व अज्ञानता व किशनलालजी की वृद्धा अवस्था व बिमारी का नाजायज फायदा उठाने की नियत से वादी को उसके हक हिस्से की आराजियात से महरूम करने की नियत से फर्जी, कुटरचित व बनावटी दस्तावेज तैयार कर पेंशन दिलाने के बहाने निम्बाहेडा लाकर वादी की स्वामित्व आधिपत्य की हिस्से बटवाडे मे आई वादग्रस्त आराजी जिसके खाता संख्या 31 की आराजी नम्बर 33,665,66[illegible] किता 3 कुल रकबा 1.1100हे0 में किशनलालजी का सम्पूर्ण हक हिस्सा एवं खाता संख्या 32 की आराजी नम्बर 11 रकबा 0.7400 हे0 मे किशनलालजी का सम्पूर्ण हक हिस्सा, एवं खाता संख्या 170 की आराजी नम्बर 1392, 1411, 2044/2184 कुल किता 3 कुल रकबा 1.5600हे0 मे किशनलालजी का दर्ज सम्पूर्ण 1/2 हक हिस्सा की भूमि को बगैर वादी की जानकारी के बगैर मौके पर कब्जे का आदान प्रदान किये, प्रतिवादी नम्बर 1 ने

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:33:31 IST
Reason: SelfAttested

वादी के पिता को धोखा देकर वादी की पुश्तैनी आराजियात को अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा लिया। जिसकी जानकारी वादी को नही थी।

5. वादी की वादग्रस्त पुश्तैनी पृतक आराजियात जिसके खाता संख्या 31 की आराजी नम्बर 33,865,867 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1100हे0 एवं खाता संख्या 32 की आराजी नम्बर 11 रकबा 0.7400 हे0 में वादी का 1/2 हिस्सा व स्व० किशनलालजी का 1/2 हिस्सा मे से किशनलालजी के देहान्त के बाद किशनलालजी के 1/2 हिस्से मे से वादी का 1/6 हिस्सा यानि 1/2+1/6 कुल 2/3 हक हिस्सा वादी का प्रतिवादी नम्बर 1 कंचनबाई का 1/6, व प्रतिवादी नम्बर 2 सुखीबाई का 1/6 हक हिस्सा उक्त खाते की आराजियात में रहा हैं। जिसकी जानकारी वादी को नही थी, वादी द्वारा अभी हाल ही मे अपने पिता के देहान्त के बाद वादग्रस्त भूमि मे अपना नाम दर्ज कराने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उक्त धोखाधड़ी की जानकारी हुई और जानकारी होते ही वादी ने प्रतिवादी नम्बर 1 को खाता संख्या 31, 32 में वादी का 1/2 हिस्सा व स्व० किशनलालजी का 1/2 हिस्सा मे से किशनलालजी के देहान्त के बाद किशनलालजी के 1/2 हिस्से मे से वादी का 1/6 हिस्सा यानि 1/2+1/6 कुल 2/3 हक हिस्सा वादी का प्रतिवादी नम्बर 1 कंचनबाई का 1/6, व प्रतिवादी नम्बर 2 सुखीबाई का 1/6 हक हिस्सा दर्ज घौषित करा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे है और वादी व गांव के मौतबीर व्यक्तियो व रिश्तेदारो द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 को समझाने बुझाने पर भी प्रतिवादी नम्बर 1 किसी भी सूरत में मानने को तैयार नही हैं और वादी के नाम घौषित कराने से इंकार हो गई इसलिए वादी खाता संख्या 31, 32 में वादी का 1/2 हिस्सा व स्व० किशनलालजी का 1/2 हिस्सा मे से किशनलालजी के देहान्त के बाद किशनलालजी के 1/2 हिस्से मे से वादी का 1/6 हिस्सा यानि 1/2+1/6 कुल 2/3 हक हिस्सा वादी का प्रतिवादी नम्बर 1 कंचनबाई का 1/6, व प्रतिवादी नम्बर 2 सुखीबाई का 1/6 हक हिस्सा घौषित कर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने का वादी अधिकारी हैं।

न्यायालय सहायक कलेक्टर निम्बाहेड़ा-जिला चित्तौड़गढ़

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा ने वकालतनाम मय जवाबदावा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 3 की और से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सौलंकी ने वकालतनामना पेश किया। वकील उभयपक्ष ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी नं. 1 आपस मे सगे भाई बहन है तथा वादी व प्रतिवादीगण को गांव मौतबीर पंचो व रिश्तेदारो की समझाईष से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपस मे राजीनामा करवा दिया है और राजीनामा निम्नानुसार हैं। राजीनामे अनुसार प्रतिवादी नम्बर 1 कंचनबाई के वाके मौजा मैलाना की खाता संख्या 32 की आराजी नम्बर 11 रकबा 0.7400 हेक्टेयर है, एवं बी... जमीन जिसके खाता संख्या 170 की आराजी नम्बर 1392 रकबा 0.1400 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1411 रकबा 0.6900 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2044/2184 रकबा 0.7... हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.5600 हेक्टेयर में 1/2 हक हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 कंचनबाई का रहेगा। वादी गोपाल लाल के हिस्से में वाके मौजा मैलाना की खाता संख्या 31 की आराजी नम्बर 33 रकबा 0.7400 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 865 रकबा 0.3400 हेक्टेयर, आराजी नम्बर

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:33:31 IST
Reason: SelfAttested

867 रकबा 0.0300 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.1100 हेक्टेयर में सम्पूर्ण इसी प्रकार खाता संख्या 932 की आराजी नम्बर 868 रकबा 0.1600 हेक्टेयर सम्पूर्ण इसी प्रकार खाता संख्या 65 की आराजी नम्बर 1007 रकबा 0.1900 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1453 रकबा 0.8200 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2251/855 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2252/856 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 853 रकबा 0.1500 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 870 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 873 रकबा 0. 3000 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 888 रकबा 0.3600 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 890 रकबा 0.1900 हेक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 2.3000 हेक्टेयर में 1/3 हिस्सा जो प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज शुदा है उक्त भूमि वादी गोपाल के हिस्से मे रखी गई हैं, इसलिए उक्त भूमि मे प्रतिवादी नम्बर 1 का दर्ज शुदा 1/3 हिस्सा वादी के नाम घौषित किया जावे इस प्रकार वादी का उक्त आराजियात में 2/3 हक हिस्सा घौषित किया जावें प्रतिवादी नम्बर 1 कंचनबाई का नाम विलोपित किया जावें, तथा प्रतिवादी नम्बर 3 पार्वती का दंर्ज शुदा 1/3 हिस्सा पार्वती के नाम रखा जावें, इसी प्रकार खाता संख्या 64 रकबा 864 रकबा 0.0100 हेक्टेयर सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के रहेगा। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन हैं कि उपरोक्त राजीनामें अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाने की कृपा करावें।

7. बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई । मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। वादी व प्रतिवादी गण ने राजीनामा पेश किया जिसे तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। वाद वादी राजीनामे अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

घोषणा है कि

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की वाके मौजा मैलाना की खाता संख्या 31 की आराजी नम्बर 33 रकबा 0.7400 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 865 रकबा 0.3400 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 867 रकबा 0.0300 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.1100 हेक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 932 की आराजी नम्बर 868 रकबा 0.1600 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण वादी के नाम खातेदारी घोषित की जाती है तथा खाता संख्या 64 आराजी नम्बर 864 रकबा 0.0100 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 की दर्ज शुदा आराजियात वादी गोपाल के नाम खातेदारी घोषित की जाती है। इसी प्रकार वाके मौजा मेलाना की खाता संख्या 65 की आराजी नम्बर 1007 रकबा 0.1900 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1453 रकबा 0.8200 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2251/855 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2252/856 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 853 रकबा 0.1500 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 870 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 873 रकबा 0.3000 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 888 रकबा 0.3600 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 890 रकबा 0.1900 हेक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 2.3000 हेक्टेयर में 1/3 हक हिस्सा जो प्रतिवादी नम्बर 1 कंचन बाई के नाम दर्ज शुदा है जो वादी गोपाल के नाम खातेदारी घोषित की जाती है। प्रतिवादी नम्बर 1 कंचनबाई का नाम उक्त आराजियात से विलोपित किया जाकर वादी गोपाल का 2/3 के नाम खातेदारी घोषित की जाती है। तथा प्रतिवादी नम्बर 3 पार्वती का दंर्ज शुदा 1/3 हिस्सा पार्वती के नाम रखा जावें एवं

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:33:31 IST
Reason: SelfAttested

वाके मौजा मैलाना की आराजी नम्बर 11 रकबा 0.7400 हेक्टेयर है, एवं बीडा वाली जमीन जिसके खाता संख्या 170 की आराजी नम्बर 1392 रकबा 0.4400 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1411 रकबा 0.6900 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2044/2184 रकबा 0.4300 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.5600 हेक्टेयर में 1/2 हक हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 कंचनबाई के नाम बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेडा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:33:31 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –94/2024
GCMS No. –2024/415

1. गोपाल लाल पुत्र किशनलालजी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० –वादी

बनाम

1. कंचनबाई पुत्री किशनलालजी पत्नि नंदकिशोर जी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना हाल मुकाम गुर्जरखेडी तहसील जावद जिला नीमच म०प्र०
2. सुखीबाई बेवा किशनलालजी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०(नाम विलोपित)
3. पार्वती बाई पत्नि गोपाल लाल जी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. उपपंजीयक निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० – प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :– 07.01.2025

:: निर्णय ::

प्रकरण आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सौलंकी एवं सुरेन्द्र कमार ओझा की उपस्थिति में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की वाके मौजा मैलाना की खाता संख्या 31 की आराजी नम्बर 33 रकबा 0.7400 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 865 रकबा 0.3400 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 867 रकबा 0.0300 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.1100 हेक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 932 की आराजी नम्बर [illegible] हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण वादी के नाम खातेदारी घोषित की जाती है तथा खाता [illegible] आराजी नम्बर 864 रकबा 0.0100 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी [illegible] आराजियात वादी गोपाल के नाम खातेदारी घोषित की जाती है। इसी प्रकार वाके मौजा मेलाना की खाता संख्या 65 की आराजी नम्बर 1007 रकबा 0.1900 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1453 रकबा 0.8200 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2251/855 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2252/856 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 853 रकबा 0.1500 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 870

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:33:31 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.1100 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 873 रकबा 0.3000 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 888 रकबा 0.3600 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 890 रकबा 0.1900 हेक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 2.3000 हेक्टेयर में 1/3 हक हिस्सा जो प्रतिवादी नम्बर 1 कंचन बाई के नाम दर्ज शुदा है जो वादी गोपाल के नाम खातेदारी घोषित की जाती है। प्रतिवादी नम्बर 1 कंचनबाई का नाम उक्त आराजियात से विलोपित किया जाकर वादी गोपाल का 2/3 के नाम खातेदारी घोषित की जाती है। तथा प्रतिवादी नम्बर 3 पार्वती का दंर्ज शुदा 1/3 हिस्सा पार्वती के नाम रखा जावें एवं वाके मौजा मैलाना की आराजी नम्बर 11 रकबा 0.7400 हेक्टेयर है, एवं बीडा वाली जमीन जिसके खाता संख्या 170 की आराजी नम्बर 1392 रकबा 0.4400 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1411 रकबा 0.6900 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2044/2184 रकब 0.4300 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.5600 हेक्टेयर में 1/2 हक हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 कंचनबाई के नाम बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज दिनांक 07.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:33:31 IST
Reason: SelfAttested